

‘गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को 2 हजार करोड़ की रिश्वत दी’

राहुल गाँधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी कोर्ट द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह गंभीर आरोप लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर।

“आक्रमण ही सर्वश्रेष्ठ बचाव है,” जांची परखी इस नीति पर चलते हुए भाजपा ने अपनी सभी बंदूकें लोकसभा में विपक्ष के नेता पर तान दी हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रशासन द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत का आरोप लगाने पर नरेन्द्र मोदी से सवाल पूछा है। आज दिन में राहुल गाँधी ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की क्योंकि अमेरिकन प्रशासन ने अडानी पर रिश्वत केस में लिफ्त होने का आरोप लगाया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए गाँधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अडानी का बचाव करने का आरोप लगाया और पूछा कि इतने सारे आरोप होने के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया है।

गाँधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि हम यह मुद्दा संसद में उठाएंगे और लोकसभा में

■ राहुल गाँधी ने इस संदर्भ में यह भी कहा, कि झारखण्ड व दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मिनटों में गिरफ्तार कर लिये गये थे, आरोपों के आधार पर। पर अडानी के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और न ही होगी।

■ प्रत्युत्तर में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अगर अडानी इतने भ्रष्ट हैं, तो कांग्रेस की व कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें, लाइन लगाकर उनसे अपने-अपने राज्य में पूंजी निवेश की अर्जी क्यों देती हैं।

■ भाजपा प्रवक्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ व राजस्थान में अडानी ने क्रमशः 25 हजार करोड़ व 65 हजार करोड़ निवेश किये थे, जब भूपेश बघेल व अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे।

■ भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, राहुल गाँधी के पास कुछ नाम हैं, जो वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछालते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए। अगर, राहुल गाँधी के पास कुछ ठोस सबूत व जानकारी है तो वे न्यायालय में मुकदमा क्यों नहीं करते मोदी सरकार के खिलाफ।

■ अमेरिकी अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार, अडानी ग्रुप ने राज्य सरकार के अफसरों को भारी रिश्वत दी है, सोलर पावर प्लान्ट्स से बिजली खरीदने के लिए।

विपक्ष का नेता होने के कारण मेरी यह जिम्मेवारी है कि मैं यह मुद्दा उठाऊँ। प्रधानमंत्री शत प्रतिशत इस आदमी

(अडानी) को प्रोटैक्ट कर रहे हैं और यह आदमी भाजपा को समर्थन करता है। हम जे.पी.सी.की मांग करते हैं।

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिकी में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि (शेष पृष्ठ 3 पर)

कार्यरत शिक्षक को सरप्लस कर हटाने पर रोक

जयपुर, 21 नवम्बर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महामत्या गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कार्यरत शिक्षक को सरप्लस कर हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अधिकरण ने शिक्षक को अन्य स्थान पर स्थानांतरण और पदस्थापन नहीं करने को कहा है। वहीं, मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

■ राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किये।

अधिकरण ने ये आदेश इमरान की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सेनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी 18 जनवरी, 2022 को साक्षात्कार के जरिए नागौर की जूसरी स्थित राजकीय महामत्या गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्त हुआ था। विभाग ने गत 14 नवंबर को सरप्लस शिक्षकों की सूची निकाली और उसमें (शेष पृष्ठ 3 पर)

गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज किया

जयपुर, 21 नवंबर। एन.आई.ए. मामले में गोगामेडी हत्याकांड मामले में अजमेर की हाई सिक्वोरिटी जेल में बंद आरोपी नितिन पौजी, रामवीर और ऊधम सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोपियों ने जेल प्रशासन पर एस.टी.डी. फोन से परिजनों से बात नहीं कराने और उनसे मुलाकात नहीं कराने का आरोप लगाया गया था। पीठासीन अधिकारी मशरूर आलम

■ आरोपियों ने परिजनों से एस.टी.डी. पर बात कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जेल प्रशासन का कहना था, उन्हें किसी भी आरोपी ने फोन पर बात कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

खान अपने आदेश में कहा कि आरोपी ऊधम सिंह की उसके परिजनों से बात कराई जा रही है। वहीं, नितिन व रामवीर के मामले में परिजनों से मुलाकात करने का कोई प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा आरोपियों पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोप होने के कारण, फोन सुविधा बंद की गई है। ऐसे में आरोपियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थियों (शेष पृष्ठ 3 पर)

कीनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैन्सल किया

गौतम अडानी ग्रुप पर अमेरिका के कोर्ट में लगाये गये रिश्वतखोरी व जालसाजी के आरोप दाखिल होने के बाद कीनिया सरकार ने यह कदम उठाया है

- श्री नन्द झा-

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 21 नवम्बर। अमेरिकी कोर्ट में गौतम अडानी समूह के खिलाफ लगाया गये रिश्वत देने व धोखाधड़ी के आरोपों से समूह को पहला नुकसान कीनिया में हुआ। इस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी ग्रुप को दिया गया 700 मिलियन डॉलर का अनुबन्ध रद्द कर दिया। यह अनुबन्ध ट्रांसमिशन पावर लाइन्स बनाने के लिए हुआ था। कीनिया के राष्ट्रपति ने केन्याटा इन्टरनेशनल एयर पोर्ट के विस्तार की योजना भी रद्द कर दी, जिसमें अडानी ने भी टेंडर भरा था।

अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स द्वारा 26.50 करोड़ डॉलर के सुनियोजित रिश्वत कांड में अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स, जिनमें स्वयं गौतम अडानी भी शामिल हैं, पर अभियोग लगाये जाने के बाद, अडानी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में फैले हुये हैं, अब बहुत सख्त संवीक्षा के तहत आ सकते हैं। अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क की एक पूर्व सूचीबद्ध कम्पनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर साबिश की कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी जाये तथा फायदेमंद सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किये जायें।

■ कीनिया ने 700 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साईन किया था, अडानी ग्रुप के साथ, कीनिया में ट्रांसमिशन पावर लाइन्स बिछाने के लिए। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की घोषणा की।

■ कीनिया के राष्ट्रपति ने कीनिया के जोमो कैन्याटा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार करने के कॉन्ट्रैक्ट, जो अडानी ग्रुप को सौंपा गया था, को भी रद्द करने की घोषणा की।

■ अडानी ग्रुप की कम्पनियों, जैसे अडानी एन्टरप्राइजेंज, अडानी एनर्जी सोल्यूशन्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आरोप पत्र दाखिल होने की खबर के बाद, काफी गिरावट आई है।

अडानी ग्रुप ने अमेरिकन डिपॉजिट ऑफ जस्टिस तथा सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लगाये गये आरोपों को “निराधार” बताया है तथा कहा है कि “सभी सम्भव कानूनी रास्ते तलाशे जायेंगे”।

जाहिर है, अमेरिकन अभियोग में इतनी ताकत है कि वह अडानी ग्रुप के वैश्विक व्यवसाय के साथ ही, भारत में भी उसके व्यवसाय को संकट में डाल सकता है। गुरुवार को, सभी अडानी स्टॉक्स, जिनमें अडानी एन्टरप्राइजेंज, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस, अडानी पोर्ट्स तथा अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं, में भारी गिरावट आई है तथा इन्हें 2.3

प्रतिशत तक नुकसान हुआ है।

बुकलीन कोर्ट में फाइल किये गये अमेरिकन आरोपों में गौतम अडानी, सागर अडानी तथा विनोत एस. जैन पर 26.50 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने के सुनियोजित कांड के आरोप लगाये गये हैं। प्रॉसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि इस ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्टों के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग प्राप्त करते समय, महत्वपूर्ण जानकारीयों को गुप्त रखते हुये, अमेरिकन निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया। प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि कपटपूर्ण तरीकों, जिनमें निवेशकों से झूठी बातें कहना तथा (शेष पृष्ठ 3 पर)

अडानी न्यायालय में “निगोशिऐटेड सेंटलमेंट” का रास्ता अपनायेंगे?

भारत के कानून में “सरकारी गवाह” बनने का कोई प्रावधान नहीं है, अमेरिका के कोर्ट में, अतः अडानी के समक्ष ‘निगोशिऐटेड सेंटलमेंट’ (आपसी समझौता) का ही विकल्प बचा है

- जाल खंबाता-

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 नवम्बर।

उद्योगपति गौतम अडानी इस क्रिमिनल केस में भी “निगोशिऐटेड सेंटलमेंट” (बातचीत एवं समझौता) का विकल्प अपना सकते हैं। यह विकल्प उन जैसे फ्रॉडस्टर्स के लिये बचने का रास्ता बना देता है। यह भारत की “अप्रूवर्ड” व्यवस्था जैसा ही रास्ता है।

चूँकि अडानी इस क्रिमिनल केस में मुख्य आरोपी हैं, तो हो सकता है कि उन्हें सौदेबाजी करने की अनुमति नहीं मिले, जो अन्य आरोपियों को मिल सकती है।

अमेरिकन अभियोग कहता है कि पावर “भारतीय सरकार” को बेची जानी थी। इस के अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्वत किसने ली तथा किस राज्य में ली, लेकिन रिश्वत देने वाली अडानी की कम्पनी थी, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है।

■ अमेरिकी कानून के अन्तर्गत इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस राज्य में किस अफसर ने कितनी रिश्वत ली। जुर्रम तो रिश्वत देने वाले ने किया है। और, इस प्रकरण में रिश्वत देने वाला अडानी ग्रुप है, जिसके खिलाफ रिश्वत देने का आरोप है।

■ एक यह भी दृष्टिकोण है कि, अडानी ग्रुप ने पूंजी निवेशकों को यह बात उजागर नहीं करके, कि उन्होंने रिश्वत दी है सोलर एनर्जी बेचने का अनुबंध करने के लिए, पूंजी निवेशकों के साथ धोखा किया है, और अमेरिकी पूंजी निवेशकों ने करोड़ों रुपये लगाये अडानी ग्रुप के धंधे में।

■ हिन्दुस्तान में किसने रिश्वत प्राप्त की, यह मामला, भारत सरकार की जाँच का विषय है। अमेरिकी न्यायालय के दायरे से बाहर की बात है।

रिश्वत देने के मामले को गुप्त रखकर, अडानी ने वॉल स्ट्रीट के उन निवेशकों को धोखा दिया, जिन्होंने

करोड़ों डॉलर्स का निवेश किया था। जहाँ तक रिश्वत लेने वालों का प्रश्न है, उनकी (शेष पृष्ठ 3 पर)

‘अमेरिकन एजेन्सी का खुलासा, भारत की एक पी.एस.यू. अडानी स्कैम में शामिल’

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर अंगुली उठाई

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया, अडानी के इस भ्रष्टाचार स्कैण्डल में जिसकी प्रमुख भूमिका है उसका अमेरिकन एजेंसियों ने खुलासा कर दिया है यह है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस.ई.सी.आई.), जो कि भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है।

जयराम रमेश ने कहा कि एस.ई.सी.आई. ने प्राइवेट कम्पनियों से बिड्स मांगी थी और विजेता को चुनने के लिए रिबिड्स ऑक्शन कराई थी। इसके सुझाव पर विभिन्न राज्य भी खरीद समझौते में शामिल हुए।

अमेरिका के औपचारिक अभियोग पत्र में उल्लेख है कि आंध्र, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, और जम्मू कश्मीर में रिश्वत दी गई जम्मू कश्मीर

■ जयराम रमेश ने कहा, जैसे सेबी ने अडानी की मदद की थी वैसे ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की है, यहां भी यही मुख्य प्रश्न है, क्या इस पी.एस.यू. की जाँच होगी।

■ जयराम रमेश ने बताया कि सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही बिड्स मांगी थीं और विभिन्न राज्यों से मंहगे दामों पर सोलर एनर्जी खरीदने के समझौते करावाए थे। इनमें ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर हैं।

■ महाराष्ट्र व राजस्थान से भी ऊँचे दामों पर सोलर एनर्जी खरीदने के अनुबंध हुए हैं, उन पर भी सवालिया निशान लगा गया है।

केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसमें शामिल हुआ। यह नितांत अस्वीकार्य है और इसमें कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पर क्या एस.ई.सी.आई. की भी जाँच होगी, यहां भी सेबी जैसी ही स्थिति है।

राज्यों की बात करे तो महाराष्ट्र एवं राजस्थान में भी हालिया महीनों बहुत ऊंचे दामों पर सोलर पावर खरीदने के अनुबंध हुए हैं, उनका क्या? उन पर भी चर्चा होनी चाहिए।

जयपुर में शाही शादियों की धूम

जयपुर, 21 नवम्बर। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के उपचुनाव में वोटिंग के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आए हैं। जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गाँधी के आने के कुछ देर बाद, एक अन्य शादी में हिस्सा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख तथा उत्तर

■ राहुल, प्रियंका गाँधी पहुंचे, अखिलेश डिपल भी जयपुर आए।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी जयपुर पहुंचे।

राहुल गाँधी जयपुर एयरपोर्ट से सीधा होटल ओबेरॉय राजसिलास के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि राहुल शाव को होटल रामबाग पैलेस में राहुल गाँधी के भांजे और प्रियंका गाँधी के बेटे रैहान के मित्र यशार्थ गोयल के शादी समारोह में शिरकत करेंगे। इस (शेष पृष्ठ 3 पर)

इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर।

इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई.सी.सी.) ने इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तथा पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलैंत के विरुद्ध, इज़रायल हमास युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। इनमें गाज़ा पर किए गए बेतरतीब हमले भी शामिल हैं, जिनके कारण कथित रूप से नागरिकों को भारी क्षति हुई।

कोर्ट ने माना कि नेतन्याहू तथा गैलैंत का कथित आचरण अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट को, यह मानने के लिए भी उचित आधार मिला कि अनेक युद्ध अपराधों के लिए सह-अपराधी के रूप में नेतन्याहू और गैलैंत की जिम्मेवारी बनती है। दोनों नेताओं पर, गाज़ा के नागरिकों को जानसूझकर भोजन, पानी, बिजली,

इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इज़रायल के प्रधानमंत्री के साथ पूर्व रक्षामंत्री योआव गैलैंत को भी युद्ध अपराधी घोषित किया है

ईधन और चिकित्सा आपूर्ति से वंचित रखने का आरोप है। इसके अलावा राजनैतिक और राष्ट्रीय आधार पर गाज़ा के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना तथा उनका उत्पीड़न तथा अन्य अमानवीय कृत्य भी युद्ध अपराधों में शामिल हैं। अदालत ने पाया कि नेतन्याहू तथा गैलैंत का कथित आचरण फिलिस्तीन में नागरिक आबादी, विशेष रूप से गाज़ा के नागरिकों के खिलाफ इज़रायली सरकारी निकायों और सशस्त्र बलों की गतिविधियों से संबंधित था। कोर्ट ने यह भी पाया कि मानवता के विरुद्ध कथित अपराध, गाज़ा की नागरिक आबादी के विरुद्ध

■ कोर्ट ने कहा कि इज़रायल हमास संघर्ष में गाज़ा में बेतरतीब और मनमाने तरीके से हुए हमलों में भारी जनहानि हुई है, ये हमले मानवता के विरुद्ध अपराध हैं।

■ इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई.सी.सी.) के वॉरंट पर उन देशों को अमल करना होगा जो इसके सदस्य हैं। पर जो देश इसके सदस्य नहीं हैं उन पर कोई दबाव नहीं है।

■ यह मामला उन देशों के बड़े नेताओं पर आई.सी.सी. की ताकत की कसौटी भी होगा जो इसके सदस्य नहीं हैं।

■ आई.सी.सी. के वॉरंट का इज़रायल ने कड़ा विरोध किया तथा इसे पक्षपातपूर्ण बताया, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी आई.सी.सी. के आदेश को हानिकारक बताया।

व्यापक तथा सुनियोजित व व्यवस्थित हमले का हिस्सा था। कोर्ट को यह मानने के लिए भी उचित आधार मिला कि दोनों नेताओं के उपरोक्त आचरण ने

गाज़ा में नागरिक आबादी के बड़े भाग को उनके मूल अधिकारों, जिसमें जीवन व स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, से वंचित रखा और यह भी

कि आबादी को राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आधार पर लक्ष्य बनाया गया इसलिए कोर्ट ने पाया कि मानवता के खिलाफ उत्पीड़न का अपराध किया गया है।

सदस्य देशों में उच्च पदस्थ नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहचान की परख भी करता है।

इस दौरान इज़रायल ने नेतन्याहू व अन्य नेताओं के खिलाफ आई.सी.सी. के वॉरंट जारी करने के निर्णय की पुरजोर निंदा की है। इज़रायली अधिकारियों ने इन आरोपों को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि इज़रायल एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास एक मजबूत न्यायपालिका है, जो कि, इस तरह के मामलों को स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम है। उनका तर्क है कि आई.सी.सी. के अधिकार क्षेत्र में इज़रायल नहीं आता है, क्योंकि वह रोम स्टैच्यूट (कानून) में पार्टी नहीं है। इस कदम की इज़रायल के सहयोगियों, जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका और यू.के. ने आलोचना की है, जो इसे लाभप्रद के बजाय हानिकारक मानते हैं।

कोर्ट के आदेश का मतलब होगा, इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयों और संभावित कूटनीतिक चुनौतियों की गहन जांच। यह मामला, गैर आई.सी.सी.

‘शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकें’

जयपुर, 21 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक की ओर से अध्यापन के दौरान लापरवाही बरतने पर, उसकी संवर्धी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डी.ई.ओ., जयपुर इन्वीजन सहित अन्य को नोटिस जारी

■ हाईकोर्ट शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व डी.ई.ओ. से जवाब तलब किया।

कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये आदेश पुष्कर सेनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय, (शेष पृष्ठ 3 पर)

विचार बिन्दु

सनास्त कर्म का लक्ष्य आनंद की ओर है। -टैगोर

अपना घर-आंगन हो, सपना है, छूटना नहीं चाहिए

जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ का दिनांक 13 नवम्बर, 2024 का निर्णय जिसमें बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश दिये हैं, एक अदभुत और पढनीय निर्णय है। आचार संहिता के लिए 'एन कमान्डमेंट' के बाबत सुनते आये हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के हेतु 'गीता' पढ़ते हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के लिये हमें Direction in the matter of demolition of structures v. and ors., Writ Petition (Civil) No.295/2022 (and connected cases) पढ़ना चाहिये। इस निर्णय में माननीय खण्डपीठ ने अनुच्छेद 21 की कई व्याख्याओं में एक नई व्याख्या जोड़ते हुये कहा है कि Shelter is one of the facets of Article 21 न्याय की विशेषता है कि उसमें जज की आत्मा की आवाज सुनाई दे और निर्णय का यह सनातन पक्ष उक्त निर्णय में प्रतिध्वनित हो रहा है।

मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का यह केस है जिसमें देश के लोगों के साथ, अन्य लोगों ने भी चिन्ता अभिव्यक्त की है।

जस्टिस वी.आर. गवई ने अपने 95 पृष्ठों के निर्णय का प्रारम्भ देश के यशस्वी कवि प्रदीप की कविता से किया है। कविता के लिये कहा गया है हृदय से उसका निस्तारण उस समय होता है जब वेदना पैदा होती है, दिल टूटता है। किसी ने सच कहा है, "आह से निकला होगा गान तभी बनी होगी", कविता 'अनजान'। कविता का पद निम्नलिखित है:-

अपना घर हो, अपना आंगन हो,
इस ख्याब में हर कोई जीता है।

इन्सास में दिल की चाहत है कि घर,
का सपना कभी न छूटे।

ऐसा मालूम होता है न्यायमूर्ति गवई का दिल केस के तथ्यों से रो पडा हो और उस पीडा ने निर्णय को जन्म दिया है जो उल्टीदिलों के लिये भावोजली है। यह सच है घर सबके लिये सपना है, उनका आश्रय है। उनके सम्मान की निशानी है। आश्रय मौलिक अधिकार है।

इसी बात को संसार के प्रसिद्ध न्यायविद लॉर्ड डेनिंग ने केस (1964) IQB 308 के निर्णय में न्याय सिद्धान्त को अपने घर की महिमा का तथा आश्रय के अधिकार के बाबत कहा था कि गरीब को अपने घर में रहने का अधिकार है, चाहे घर की छत इतनी कमजोर हो कि छोटा तूफान भी उसे झकझोर दे, चाहे वर्षा का पानी घर में घुस जावे किन्तु बादशाह की फौज भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती जब तक देश का कानून प्रवेश को न्याय संगत न माने।

बुलडोजर के एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिकाओं पेश की गई थी उसमें निर्णय के लिये विवाद था कि क्या अपराधी (Accused) की सम्पत्ति को तोडा (Demolish) जा सकता है। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी के आशियाना को सजा देने की निवृत्त से दबा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शोध पत्र पेश कर कहा था कि अचल सम्पत्ति/Immovable property can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law अर्थात् घरों को तोडफोड नियमों की पालना कर की जावेगी। माननीय खण्डपीठ ने फैसले में यही कहा है कि यदि लोगों के घर सिर्फ इस्लिये माल (टोड) दिये जायें कि व्यक्ति आरोपी या दोषी है तो वह असंवैधानिक है। खण्डपीठ ने माना कि संविधान और क्रिमिनल कानूनों के अनुसार आरोपियों और दोषियों के भी अधिकार होते हैं। निर्णय में कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। बदले की कार्यवाही के हेतु भी वह किसी भी अचल सम्पत्ति घर या दुकान को बुलडोजर द्वारा नष्ट नहीं कर सकती।

पीठ ने माना है बुलडोजर से सम्पत्तियों को तोडना, दहाना अराजकता का कृत्य है। ऐसे कृत्यों के लिये कानून व संविधान में कोई जगह नहीं है। यह कृत्य कानून के शासन पर हमला माना जावेगा, क्षमा योग्य नहीं है। यह कृत्य कानून की आत्मा पर चोट देता है। राज्य का काम तो सबको सुरक्षा प्रदान करना है। घर व्यक्ति अथवा परिवार जनों की आशा है, उनका सुरक्षा कवच है। केवल इस आधार पर मकान/दुकान तोडना कि व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है यह कृत्य Due Process of Law की परिभाषा में नहीं आता। न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में लिखा है कि सजा के नाम पर किसी का आशियाना तोडना/छीनना हमारे लोकतंत्र के संविधान के विरुद्ध है।

यदि हम 95 पृष्ठ के इस ऐतिहासिक निर्णय को पढ़ें तो पायेंगे कि न्यायालय के समक्ष कई केस प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें घर व दुकान को नष्ट करने के, अक्रमण करी बनकर दहया गया था। जिन लोगों के घर तोडे हैं उनमें जावेद मोहम्मद का केस भी है। घटना 10 जून 2022 की है जब जावेद मोहम्मद को नेता नुर्रु शर्मा विवाद में विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा भडकाने के साक्ष्यकर्ता होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। तब दो दिन बाद ही बुलडोजर एक्शन हो गया। एक अन्य केस उदयपुर का है एक स्कूल छात्र का मामला है, उसने अपने सहपाठी की चाकू मारकर हत्या की थी। फलस्वरूप दंगा (Riot) हो गया। जिला प्रशासन ने स्कूल छात्र का घर तोड दिया।

दिल्ली के गणेश व रतलाम का मजदूर जावेद व शौद आदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश है, उन्हें मुआवजे की उम्मीद थी, किन्तु कोर्ट के निर्णय में मुआवजों के बाबत कोई निर्देशन है। हाँ, जस्टिस चन्द्रचूड ने एक केस में 25 लाख का हर्जा दिलाया है। उपरोक्त कुछ घटनाओं का उल्लेख है। घटनायें बहुत हैं। घटनायें हृदय विदारक हैं। आत्मा को झकझोर देती हैं। अपना घर होना व्यक्ति का सपना है, उसका छीना जाता उसके लिये मृत्यु जैसा है। सरकार का यह कार्य मानाशाही कृत्य है। लोकतंत्र में यह दुर्भाग्य की घटना है। जस्टिस चन्द्रचूड ने अपने अन्तिम निर्णय में अपने मत को समर्थन देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 300ए को सम्पत्ति के अधिकार के बाबत है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के अधिकार के बिना व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जावेगा।

देश में सरकारी जमीन, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत आदि में टमेज रहती है। ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को ट्रेसपासर माना गया है और कानून के माध्यम से ट्रेसपासर को जमीन से बेदखल करने का प्रावधान है और अधिकार। अतः खण्डपीठ ने माना है कि अवैध कब्जे व अवैध निर्माण को हटाना जा सकता; किन्तु यह उसी समय वैध होगा जब कानून में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही हो अन्त्या नहीं। अपने निर्णय के पैरा 9 में इस विषय को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि "हमारा आदेश उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा यदि अवैध निर्माण पब्लिक प्लेस, यानी सडक, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे लाइन्स सटी जमीन, नदी या वाटर बोर्डिंग (जल निकास) की जमीन पर हो, अथवा तोडने का आदेश, किसी न्यायालय ने दिया हो।"

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि कई नगर पालिका यानी स्वायत्त शासन की संस्थाओं जैसे जयपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी एक्ट के कानूनों में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर बिना अनुमति लिये तामीर करता है और ऐसी तामीर को बने 10 वर्ष का समय हो चुका है, तो तोडा नहीं जावेगा। चूंकि निर्णय में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है अतः इस विशेष स्थिति का यहाँ उल्लेख किया गया है। वस्तुतः पैरा 6 के पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुलडोजर जस्टिस का मामला केवल सरकारी जमीन पर किये गये Structure (निर्माण) पर ही लागू होगा। अपनी जमीन पर बिना इजाजत तामीर का मामला भिन्न परिस्थिति है। नगर पालिका कानूनों में इस हेतु प्रावधान है।

बुलडोजर न्याय का मामला सरकारी जमीन पर की गई तामीर से सम्बन्ध रखता है। इस बाबत कोई सीधा कानून नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो संविधान में न्याय करने के हेतु यह प्रक्रिया दी है कि वह तत्समन्वय में निर्देश जारी करे। संविधान के अनुच्छेद 142 में यह व्यवस्था है। इस प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल व अन्य पीटीशन्स अनुच्छेद 32 के तहत दर्ज रिजिस्टर की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटीशन नं. 295/2022 (व अन्य) तामीर को तोडने के बाबत दर्ज रिजिस्टर की गई हैं। खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 2.9.2024 से सभी पक्षकारों को अपने अपने सुझाव देने के हेतु आग्रह किया। पीठ ने सुझावों को नचिकेता जोगी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, मध्यप्रदेश को भेजने के लिये कहा। उनसे कहा कि वे प्राप्त सुझावों को पीठ को इकट्ठा कर भेजेंगे। श्री नचिकेता ने प्राप्त सुझावों को कम्पाइल कर न्यायालय को भेजा। कई प्रकार के सुझाव जनता ने भेजे हैं। सभी ने आशियाना तोडने का विरोध किया। किसी ने कहा परिवार के एक आदमी की गलती के कारण अन्य सभी परिवार के सदस्यों को बेघर नहीं किया जावे। किसी ने कहा बिना कारण बताओ नोटिस के घर तोडना अनुचित है। प्रायः सभी ने कहा बिना सुनवाई का अवसर दिये घर/दुकान से बेदखल करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है। किसी ने कहा जो अफसर मनमाने ढंग से घर गिराता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जावे उसकी जिम्मेदारी तब होना चाहिये और उसके खर्चे से दुबारा बनवाना चाहिये। कई ने कहा किसी भी परिवार के लिये घर एक सपना है, वह कई सालों की मेहनत का फल है। घर मूलभूत अधिकार है। परिवार की महिलायें व बच्चे सडक पर आ जावें यह अनुचित है। अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये। किसी ने सुझाव दिया कि सजा के नाम पर घर तोडना असंवैधानिक है उचित नहीं है। तोडने के लिये यह बतलाना होगा कि पूरा घर तोडना ही विकल्प था। तोडने से पहले नोटिस देना व पर्याप्त समय देना उचित प्रक्रिया होगी।

संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने जो निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किये हैं वे निम्नलिखित हैं:-

- निर्माण को ध्वस्त करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जावे। यह नोटिस 15 दिन का होना चाहिये।
- नोटिस की प्रति रिजिस्टर्ड थक से जाले तथा दूसरी प्रति सम्पत्ति के बाहर चरपा की जावे।
- नोटिस में स्पष्ट किया जावे कि अवैध निर्माण की प्रकृति का क्या आधार है।
- संबंधित प्राधिकारी मालिक को अपना पक्ष रखने का अवसर दे। इसका विवरण सरकार रेकार्ड में लिखा जावे।
- सम्पत्ति तोडने का अन्तिम नोटिस जारी करते समय अधिकारी मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का विवरण दे।
- अवैध निर्माण तोडने की वीडियोग्राफी की जावे। रिपोर्ट निकाय पोर्टल पर डाली जावे।
- दिशा निर्देशों की पालना न करने पर उसे अदालत की अवमानना मानकर कार्यवाही हो।
- अधिकारी को बतलाया जावे कि गलत तरीके से अथवा दुर्भावना से की गई कार्यवाही में लिप्त पाये जाने पर तोडी गई सम्पत्ति का पुनः निर्माण उन्हें कराना होगा। क्षतिपूर्ति भी करनी होगी तथा व्यक्तिगत हर्जाना भी देना होगा।
- एक भाग अनाधिकृत है तो यह बतलाना होगा कि पूरी सम्पत्ति को ध्वस्त करना एक मात्र विकल्प क्यों है।
- सम्पत्ति दहाने के आदेश के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अवसर मिलना चाहिये।
- अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये। सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत एवं इटली के मध्य सांस्कृतिक सेतु थे डॉ. एल.पी. टैसिटोरी

22 नवंबर को डॉ. एल. पी. टैसिटोरी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि



डॉ. दुलीचंद मीणा

इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में लुई द इंडियन के नाम से मशहूर एल पी टैसिटोरी ने अपने गुरुदेव शास्त्र विशारद जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी को लिखे पत्र में लिखा कि, "मैं भारतवर्ष इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भारतवासियों, यहाँ की भाषा एवं साहित्य से प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक कुंभार हूँ इस वक्त मैं 25 वर्ष का हूँ। मैं भारतीय लड़की के सिवाय किसी दूसरी से शादी नहीं करूँगा।" डॉ. टैसिटोरी के उक्त विचार भारत एवं राजपूताना के प्रति उनकी आस्था एवं प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। राजस्थानी भाषा के महत्त्व को स्वीकार करने वाले डॉ. टैसिटोरी पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी की मुक्त कंठों से इन शब्दों में प्रशंसा की-

"मैंने जितने प्रेम म्हारी मातभासा इटालियन सूँ है, उण सूँ बेसी राजस्थानी सूँ है,

कारण इण में बळ है, तेज है, ओज है, मिठास है, अर आ बड


परवार भासा है।"

राजस्थान के इतिहासकारों में जो स्थान कर्नल टॉड का है, वही स्थान राजस्थान के साहित्यकारों में डॉ. लुईजियो टैसिटोरी का है। डॉ. टैसिटोरी का जन्म 13 दिसम्बर, 1887 को उदीने (इटली) में हुआ। उदीने में अपनी हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद टैसिटोरी ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने भाषा विज्ञानी ग्राजियाडियो इसिया एस्काली से प्रभावित होकर संस्कृत पाठ्यक्रम में दाखिला लिया तथा संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पाओलो एमोलियो पावोलिनी के निर्देशन में "तुलसीदास की रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण" का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पहले यह शोध-प्रबंध इतालवी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में 'इण्डियन एंटीक्वेरी' के दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्राच्य भाषाओं के महान विद्वान डॉ. ग्रियर्सन डॉ. टैसिटोरी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत सरकार को भारतीय रियासतों के मध्यकालीन इतिहास तथा वीरगाथा काव्य के शोध हेतु डॉ. टैसिटोरी की सेवाएं प्राप्त करने की सिफारिश की। डॉ. ग्रियर्सन की सिफारिश पर ऐशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा डॉ. टैसिटोरी को चारपी एवं ऐतिहासिक शोध सर्वेक्षण कार्य का अधीक्षक के पद पर नियुक्त पत्र जारी किया।

यूरोप में जब प्रथम विश्वयुद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब डॉ. टैसिटोरी

12 मार्च, 1914 को नेपल्स से यूरोपियन जलयान 'रोम' से रवाना होकर बम्बई होते हुए 11 अप्रैल, 1914 को कलकत्ता पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऐशियाटिक सोसायटी को पत्र लिखकर राजपूताना में जाकर राजस्थानी भाषा का अध्ययन करने का आवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह के आमंत्रण पर टैसिटोरी जोधपुर होते हुए बीकानेर पहुँचे। वहाँ उन्हें पहले 4 महीने तथा बाद में एक वर्ष के लिए बीकानेर राज्य में रखा गया।

महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें दरबार की लाईब्रेरी के काव्य व ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने का काम सौंपा गया। राजस्थान व राजस्थानी भाषा के प्रति टैसिटोरी के रग-रग में प्रेम भर हुआ था। उन्होंने डिंगल साहित्य की अपूर्व सेवा की। उन्होंने डिंगल साहित्य की अमूल्य निधि 'वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेश दासोत खिडिया जगरी कही', 'बेलि क्रिसन रुकमणी री', 'छन्द राव जैतसी री' का संपादन किया और 'ऐशियाटिक सोसायटी से उन्हें प्रकाशित कवाव्या। राजस्थानी भाषा की दूबाड़ी बोली के ग्रंथ कर कुंडरी कथा का इटालियन भाषा में अनुवाद कर संपादन किया। श्री टैसिटोरी ने अपभ्रंश, गुजराती व राजस्थानी भाषा का सांगोपांग अध्ययन किया जिसके आधार पर 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण शीर्षक से एक शोध निबंध लिखा। जिसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध भाषाविद डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि,



जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी के साथ

पुानी राजस्थानी, उच्चारण, रीति, रुपतत्व और वाक्य रीति के पूरे विचार के साथ टैसिटोरी की आलोचना ऐसी महत्वपूर्ण है कि इसे मारवाड़ी तथा भाषा-तत्व की बुनियाद यदि कहा जायें तो अत्युक्ति न होगी। डॉ. नामवर सिंह ने इस निबंध का हिंदी में अनुवाद कर हिन्दी पाठकों के लिए सुरमय बनाया है। डॉ. टैसिटोरी भाषा शास्त्री के साथ-साथ अपनी पुरातात्विक पारखी

दृष्टि से ऐतिहासिक एवं पुरातत्वविद भी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने अन्वेषण में मृग मूर्तियाँ, प्रस्तर प्रतिमाओं, शिलालेखों व मुद्राओं का संग्रह किया जो बीकानेर के राज्य संग्रहालय में संग्रहित है। उन्होंने पुरातात्विक अवशेष रंगमहल, मालिखेडी, बडोड, कालीबंगा व पोलिबंगा आदि...

-डॉ. दुलीचंद मीणा, आर.ए.एस.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने पैदल यात्रा पर निकले विराग मधुमालती उदयपुर पहुंचे

उदयपुर, (कासं)। सौ दिन तक खुद की आँखों पर पट्टी बांधकर नेत्रदान की जागरूकता फैलाने के बाद अब नवी मुंबई से विराग मधुमालती पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा ग्रीन वॉकिथोन पर निकले हैं। विराग 961 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को उदयपुर पहुंचे। गायक विराग नवी मुंबई से 14 सितंबर को निकले थे जो नाकोड़ा जी तक जाएंगे। उदयपुर पहुंचने के साथ उन्होंने 24 घंटे लगातार 111 किलोमीटर पैदल चलकर पर्यावरण के जागरूकता हेतु इतिहास रचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज करवाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विराग इससे पहले पांच बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर भारत का मान बढ़ा चुके हैं।

उदयपुर पहुंचे विराग ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि वे मंदर अर्थात् मिशन के जरिये उनका लक्ष्य 1 लाख पेड़ लगाने का है और अब तक उनका टीम 31000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 14 सितंबर को नवी मुंबई से शुरू हुई थी जो नाकोड़ा भैरव देव के दर्शन के साथ विराग लेगी। इस 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा में उनकी पत्नी वंदना वानखेड़े भी साथ हैं जो पूरी टीम की व्यवस्थाएं संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि वे एक पार्ष्वगायक गायक हैं ऐसे में नवी मुंबई से शुरू इस पैदल यात्रा के दौरान सुबह चलाया शुरू करते हैं और जहां मुकाम हैं वहां वृक्षारोपण करते हैं। इसी के साथ रात्रि



पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते विराग मधुमालती।

विश्राम के दौरान भक्ति संगीत के माध्यम से आसपास के लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए उन्होंने आजीवन प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीने का भी संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्प ले चुके विराग की पत्नी वंदना

ने बताया कि इससे पहले भी वे नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक कर चुके हैं। एक बार उनकी मुलाकात एक दुष्टिबाधित गायक से हुई थी उसके बाद उन्होंने भी 100 दिन तक अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रखी। वे आँखों पर पट्टी बांधकर ही कई जनजातों के कार्यक्रम करते थे। इस दौरान उनकी तबियत खराब हो गई और आँखों की

नवी मुंबई से विराग मधुमालती पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा ग्रीन वॉकिथोन पर निकले हैं।

पट्टी ना खोलने पर आजीवन अंधे हो जाने की नौबत आ गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 100 दिन के बाद ही पट्टी खोली और नेत्रदान के लिए लगातार जागरूकता फैलाते रहे। मूल रूप से सिविल इंजीनियर विराग शास्त्री संगीत के अध्याता भी हैं। वे आज भी शास्त्री संगीत के नियमित रियाज के साथ ही पार्ष्वगायक, गीतकार, संगीत निर्देशक, प्रोड्यूसर और फिल्म निर्देशक भी हैं। उनका नवी मुंबई में ग्रैंडक्शन हाउस है, जहां पर फिल्म से जुड़े सभी कार्य करते हैं। वे एक गुरुकुल की स्थापना भी करने जा रहे हैं जहां फिल्म और संगीत से जुड़ी वारिकियों का ज्ञान देने के साथ ही युवाओं को इंडस्ट्री में अवसर प्रदान किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों के 12 हजार टीचर्स का प्रमोशन

बीकानेर, (निस्)। शिक्षा विभाग ने 11 हजार 911 टीचर्स को प्रमोट कर दिया है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा विभाग में शीर्ष सभी पदोन्नति (डीपीसी) करने के निर्देशों के बाद आज विभाग में 11 हजार 911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी की

गई। जारी की गई पदोन्नति सूची में 88 उपाचार्य, 485 प्रधानाध्यापक, 24 उप जिला शिक्षा अधिकारी, 20 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-1, 3564 प्राध्यापक (विभिन्न विषय) वर्ष 21-22 तथा 6966 प्राध्यापक (विभिन्न विषय) वर्ष 22-23 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 663 शारीरिक शिक्षक और 93 पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल हैं।

शिक्षा विभाग में डीपीसी पिछले काफी से समय से लंबित थी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री चिंतित थे तथा अधिकारियों

को डीपीसी तुरंत करने के निर्देश दिए थे। इससे सबके टिचर्स मिलेंगे, प्रिंसिपल और लेक्चरर की कमी दूर होगी।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डीपीसी की प्रक्रिया अभी रूकेगी नहीं तथा विभाग में शेष रही पदोन्नति की सूचियां भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नत हुए सभी कार्मिकों को शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जाएगा।

राशिफल शुक्रवार 22 नवंबर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, आश्लेषा नक्षत्र सायं 5:10 तक, ब्रह्म योग दिन 11:33 तक, बव करण सायं 6:08 तक, चन्द्रमा आज सायं 5:10 से सिंह राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज रवियोग सायं 5:10 तक है। आज से राष्ट्रीय मार्गशीर्ष मास आरम्भ होगा। सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:15 तक, लाभ-अमृत 8:15 से 10:54 तक, शुभ 12:13 से 1:32 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:56, सूर्यास्त 5:30

मेघ
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-सांख्यिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवर्तनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी आवश्यक कार्य योजनासुरा बनने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्रार्थनिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य बने लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त अभी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन एवं आवश्यक कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नैकीरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। नैकीरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। अटक हुए कार्य बने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आवश्यक वाद-विवाद टालना ठीक नहीं रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

'बजट घोषणा के तहत बन रही सड़कें समय से पूरी करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये



मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमार, राज्यमंत्री मंजू बाघमार, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अति मुख्य सचिव (सी.एम. कार्यालय) शिखर अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (सी.एम. कार्यालय) आलोक गुप्ता तथा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर, 21 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क निर्माण एवं संधारण सहित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि, राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की डी.पी.आर. जल्द तैयार करें।**

कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा एवं अन्य घोषणाओं के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जांच करने एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए कि प्रगतिरत

राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों एवं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संचालित भवन निर्माण, ब्रिज कार्य एवं सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमार, सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित थे।

'यासीन मलिक से जिरह के लिए जेल में अदालत लगाने की सोचें'

सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. से इस बारे में विकल्प तलाशने के निर्देश दिये

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू की अदालत के कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से आमने-सामने जिरह करने के लिए जेल में अदालत स्थापित करने का सुझाव दिया तथा गुरुवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस संबंध में विकल्प तलाशने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजय एस्. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने यह निर्देश देते कहा, हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था... उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त किया गया था।

जम्मू की एक अदालत ने भारतीय वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या और 1989 में मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के अपहरण से जुड़े मामले में जिरह के लिए मलिक को पेशी का आदेश दिया था। मलिक आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़

■ **सी.बी.आई. ने रूबैया सईद के अपहरण के मामले में गवाहों से जिरह के लिए यासीन मलिक को जम्मू-कश्मीर ले जाने के आदेश का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।**

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा कि मलिक अक्सर पाकिस्तान की यात्रा करता रहा है। वह हाफिज सईद के साथ मंच साझा करता रहा है। मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा

कि मलिक "सिर्फ एक आतंकवादी नहीं है" और "ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार नहीं चला जा सकता। मलिक ने मामले में गवाहों से जिरह करने के लिए स्वयं रूप से उपस्थित होने की अनुमति की गुहार लगाई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जिरह नहीं करता है। श्री मेहता ने दलील देते हुए कहा कि अदालत ने कहा था कि इस मामले में मलिक को भौतिक रूप से पेश होने की अनुमति देना उचित नहीं है। पीठ ने कनेक्टिविटी के मुद्दे का हवाला दिया। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी ओर से स्पष्ट किया कि कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस बात पर अड़े रहते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से जिरह करना चाहते हैं तो मुकदमे को स्थानांतरित किया जा सकता।

पीठ के समक्ष मेहता ने मलिक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए मलिक को एक तस्वीर दिखाई।

आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी घोषित

नयी दिल्ली, 21 नवम्बर। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पी.ए.सी.) की बैठक में आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गयी। पहली सूची के उम्मीदवारों में छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, फिराडी से

■ **आप ने पहली सूची में कांग्रेस व भाजपा छोड़ कर आये नेताओं को प्राथमिकता दी है।**

अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बद्रपुर से राम सिंह नेताजी, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगाना, घोडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सुमेध शौकीन शामिल हैं। आप ने पहली सूची में कांग्रेस और भाजपा छोड़कर आप नामों को प्राथमिकता दी है। 11 में से छह सीटों पर दूसरे दलों से आए प्रत्याशी घोषित किए गये हैं। अनिल झा, बी.बी. त्यागी और ब्रह्म सिंह तंवर कुछ दिनों पहले ही भाजपा से आप में शामिल हुए हैं।

बारां एस.पी. के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी

डीडवाना, 20 नवम्बर (निर्स)। डीडवाना के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिवारी ने बारां के एस.पी. राजकुमार चौधरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। न्यायाधीश ने बारां एस.पी. के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। साथ ही डीडवाना एस.पी. को निर्देश दिए हैं कि बारां एस.पी. को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

अपर लोक अभियोजक महावीर चतुर्वेदी ने बताया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मौलासर थाना क्षेत्र के सुदरसन गांव का एक फौजदारी मामला दर्ज है, जिसकी जांच बारां एस.पी. राजकुमार चौधरी ने की थी। जांच के बाद, उन्हें अनुसंधान अधिकारी होने के

■ **डीडवाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, 19 बार नोटिस जारी करने के बाद भी साक्ष्य के लिये नहीं आने पर बारां के एस.पी. राजकुमार चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया।**

नाते, अपने बयान अभियोजन साक्ष्य के रूप में कोर्ट में दर्ज करवाने थे। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 19 बार नोटिस देकर तलब किया, लेकिन बारां एस.पी. कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें नए बी.एन.एस. कानून के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियोजन साक्ष्य के बयान दर्ज करवाने के लिए तलब किया गया, लेकिन फिर भी बारां एस.पी. पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इसे बड़ी लापरवाही माना और अब बारां एस.पी. राजकुमार चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया। साथ ही डीडवाना एस.पी. को पत्र लिखकर बारां एस.पी. को गिरफ्तारी वॉरंट की पालना उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी से सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं।

अलवर के स्कूल मालिक के घर 15 लाख की डकैती

शहर के बीच, पॉश इलाके में हुई इस घटना ने नागरिकों में भय उत्पन्न किया

अलवर, 21 नवम्बर (निर्स)। निजी स्कूल के मालिक के घर 15 लाख रुपये से ज्यादा की डकैती हुई है। डकैत आरोपी बुजुर्ग दम्पति को बंधक बनाकर घर में करीब डेढ़ घंटे तक लूटपाट करते रहे। बुधवार देर रात घर में घुसे पांच बदमाशों ने कैश के साथ ज्वेलरी और गिफ्ट के लिफाफों तक में से पैसे निकाले और ले गए। दम्पति के बेटे-बहू बरेली शादी में गए हुए हैं। शहर के बीच-बीच स्थित पॉश इलाके में हुई इस डकैती ने सभी को डरा दिया है। लूट की यह वारदात रात करीब डेढ़ बजे आर्यनगर (स्कीम नंबर एक) इलाके में हुई।

जयपुर रोड पर स्थित चिनार पब्लिक स्कूल के मालिक हरीश चंद गर्ग (80) ने बताया कि घटना के समय वे और उनकी पत्नी ही घर में थे। पांच बदमाश घर के बेसमेंट से ऊपर की तरफ आए थे। बदमाशों ने पहले मुझे बंधक बनाया। उन्हें उस समय हाथ-पैर बांध कर एक कमरे में पटक दिया। मुंह पर टेप लगा दी। बुजुर्ग महिला तारा देवी (75) ने बताया कि दो-तीन बदमाशों ने कमरे में आकर उन्हें पकड़ लिया था। वे चिल्लाने लगीं

■ **स्कूल मालिक के बेटा-बहू शादी में बरेली गये हुए थे। पांच नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल मालिक व उनकी पत्नी को बांध कर कमरे में बंद किया और डेढ़ घंटे लूटपाट की।**

तो उनका मुंह दबा दिया। उनका हाथ फ्रैक्चर है, तब भी बदमाशों ने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिया। मुंह पर टेप लगाने से पहले, तिजोरी की चाबी के बारे में पूछा। मना किया तो उन्होंने खुद ही चाबी ढूंढ ली। आरोपियों नकदी, चांदी के सिक्के, जेवर, सब समेट कर एक थैले में भर लिया। महिला ने बताया कि उनका बेटा सी.ए. है। वह घर आएगा, तब ही पता चलेगा कि कितनी नगदी और जेवर थे।

बताया गया है कि तिजोरी लूटने के बाद उन्होंने घर की दूसरी

अलमारियों में रखे गिफ्ट के लिफाफों और गुल्लक तक में से पैसे निकाले लिए। रात करीब 3 बजे आरोपी घर से निकले। बदमाशों के जाने के बाद जैसे-तैसे बुजुर्ग महिला ने खुद के पैर से रस्सी को खोला। इसके बाद अपने पति के हाथ-पैर खोले। सूचना पर पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार घर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया।

पुलिस सी.सी.टी.वी. के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। घर में लगे सी.सी.टी.वी. में 5 नकाबपोश बदमाश सीडियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर घुसे। बुजुर्ग दंपती का बेटा नीरज गर्ग (सी.ए.), उसकी पत्नी और दोनों बेटे दो दिन पहले बरेली में रिश्तेदार के यहां शादी में गए थे।

इस बीच, घर में सफाई करने वाली महिला के अलावा कोई नहीं आया था। बेसमेंट का दरवाजा खुला था, ये जांच का विषय है। पड़ोसियों का कहना है कि एक दिन पहले बाइक पर कुछ युवक घूम रहे थे। संभावना है कि रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया।

गोगामेडी हत्याकांड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की गत अगस्त माह में अपने परिजनों से फोन पर बात कराई गई थी। इसके बाद न तो उनकी परिजनों से फोन पर बात कराई गई और न ही उनसे मुलाकात कराई गई। इसके अलावा, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत हर आरोपी को अपने परिजनों से बात करने और मिलने का मौलिक अधिकार है। इसके जवाब में जेल प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार के 10 दिसंबर, 2019 के आदेशानुसार, विदेशी बंदियों, एन.एस.ए. राज.पासा, कोफेपोसा, यू.ए.पी.ए.ए.ए. के अंतर्गत विचारधीन कैदियों को फोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, ऊधम सिंह के आवेदन करने पर परिजनों से मुलाकात कराई गई है और

नितिन व रामवीर के साथी बंदी से मारपीट करने के कारण 17 सितंबर, 2024 को मुलाकात करने के लिए पन्द्रह दिन की पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा, उनकी ओर से मुलाकात का कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्राधान्य पत्र को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को रोहित व नितिन ने घर में सुल्कर गोगामेडी की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

कीनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकन फेडरल कानूनों का उल्लंघन करना शामिल है, के जरिये, 2 अरब डॉलर का लाभ कमाने की योजना बनाई गई थी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तेलंगाना सरकार को नोटिस दिया

लगचाला गाँव वासियों के उत्पीड़न व शारीरिक शोषण की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी) ने तेलंगाना पुलिस द्वारा विकाराबाद जिले के लगचाला गाँव के निवासियों का उत्पीड़न तथा शारीरिक शोषण करने और उन्हें झूठे आपराधिक आरोपों में फंसाने की शिकायत पर राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी है।

गुरुवार को जारी आयोग की एक विज्ञापन के अनुसार, उसने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने मामले को घटनास्थल पर जांच के लिए तुरंत अपने विधि तथा अन्वेषण अधिकारियों की एक संयुक्त टीम वहां भेजने का निर्णय किया है जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कथित तौर पर पुलिस ने यह मनमानी तब की जब ग्रामीणों ने उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना

■ **आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग अपने विधि एवं अन्वेषण अधिकारियों की टीम भी मौके पर भेजेगा।**

प्रस्तावित "फार्मा विलेज" के लिए राज्य के भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। यह भी कहा जा रहा है कि इन कथित पुलिस अत्याचारों का शिकार हुए लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के हैं। उनमें से कम से कम 12 पीड़ितों ने शिकायत की और आयोग से मुलाकात कर, उन्हें भूखमरो से बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी।

यह भी शिकायत है कि 11 नवंबर

को जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित फार्मा परियोजना के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण की घोषणा करने के लिए लगचाला गाँव पहुंचे। उसी शाम कथित तौर पर कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने गाँव पर छापा मारा और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इस दौरान वहां इंटरनेट सेवाएं और बिजली आपूर्ति भी कथित तौर पर बंद कर दी गई थी।

यह भी आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं सहित ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज कीं, जिससे कुछ पीड़ितों को डर के कारण अपने घर छोड़ने और भोजन, चिकित्सा सहायता, सुविधाएँ सुविधाओं आदि के बिना जंगलों और खेतों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने एक अत्याधुनिक फार्मा सिटी की

बनाने के लिए पिछली सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहित आलीशान 16,000 एकड़ जमीन होने के बावजूद एकांतरफा रूप से कोर्टगत निर्वाचन क्षेत्र में एक फार्मा गाँव तैयार करने के लिए 1,374 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके का फैसला किया है। जिस भूमि को अब बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है, वह उपजाऊ कृषि भूमि है, जो पीड़ितों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के व्यक्तियों के पास है।

अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जॉन - पड़ताल भारतीय करें। लेकिन सम्भवतः वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे रिश्त देते वाले, और "बिग बॉय" को हर क्रीम पर बचाएंगे। "बिग बॉय" अर्थात् भारत के प्रधानमंत्री का संरक्षण ही अडानी को इतना आगे लाया है।

अडानी ग्रुप के शेयरों में 20 प्रतिशत तक गिरावट

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और उनके कुछ बरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से "झूठे और भ्रामक" तथ्यों के आधार पर वन जुटाने की अरबों डॉलर की योजना में उनकी कथित भूमिका को लेकर अमेरिका की एक अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं।

इस बीच, गुरुवार को शुरूआती कारोबार में अडानी समूह की शेयरों में सी.एस.ई. पर 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर बी.एस.ई. पर 20 प्रतिशत गिरकर गुरुवार को पूर्वाह्न में 2256.20 रुपये प्रति शेयर तक आ गया था।

जयपुर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शादी समारोह में सोनिया गांधी भी हिस्सा ले सकती हैं। इस शादी समारोह में गांधी परिवार 3 दिनों तक जयपुर में रहेगा। प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ तीन दिन पहले ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आ चुकी थीं। अब वे पति रॉबर्ट वाडा, बेटा रैहान और बेटी मिराया के साथ जयपुर आई हैं। एक सप्ताह पहले भी चुनाव प्रचार के बीच प्रियंका गांधी विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर आई थीं और बेटे रैहान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारकर वापस चुनाव प्रचार के लिए चली गई थीं।

'गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी ...

'मतदान का अधिक प्रतिशत भाजपा के पक्ष में'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अडानी ने अमेरिकन एवं भारतीय कानूनों को तोड़ा है। मुझे हैरानी है कि 2000 करोड़ रुपये के घोटाले व कई अन्य कारनामों के बाद भी यह आदमी खुला क्यौं घूम रहा है। उन्होंने हैरानी जतायी कि झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को तो मिन्टों में गिरफ्तार कर लिया पर इस व्यवसायी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया, "मैं जनता को बताना चाहता हूँ कृपया ध्यान दीजिए। अडानी ने 2000 करोड़ रु. का घोटाला किया है पर अडानी को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा न ही उन पर कोई जांच होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें जुड़े हुए हैं।"

बाद में भाजपा प्रवक्ता सभित पात्रा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा, सन् 2002 से ही राहुल व उनकी मां सोनिया गांधी और कांग्रेस मोदी की छवि खराब करने में जुटे हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिली है और जिस दिन विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है उस दिन एक पराए देश में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा था।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पात्रा ने

कांग्रेस तथा उसके मित्रदलों द्वारा शासित राज्यों में अडानी ग्रुप के निवेशों का उल्लेख किया। पात्रा ने कहा, "इसने (अडानी ग्रुप) ने 25 हजार करोड़ तथा 65 हजार करोड़ रु. क्रमशः छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उस समय निवेश में उस समय निवेश किये, जब वहाँ भूपेश बंधेल और अशोक गहलोत की सत्ता थी। इसके अलावा, अडानी ग्रुप ने 45 हजार करोड़ रुपये का निवेश द्रमुक-शासित तमिलनाडु में किया, और हाल ही में, उन्होंने 100 करोड़ रु. का दान एक रिक्त डवलपमेन्ट फाउन्डेशन के लिए तेलंगाना के मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी को दिया है।"

भाजपा नेता ने पूछा, "अगर अडानी "घट्ट" हैं तो कांग्रेस सरकारों उनको कम्पनी से निवेश क्यों माँग रही है।"

राहुल गांधी पर अपना हमला जारी रखते हुये, पात्रा ने राफेल सोदे के खिलाफ कांग्रेस नेता के आरोपों का जिक्र किया।

पात्रा ने कहा, "आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पर एक बार फिर, उन्होंने वैसा ही व्यवहार दर्शाया, जो चीजों को उसी प्रकार प्रस्तुत किया, जैसे वे करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नया नहीं था। उनके

पास कुछ पास कुछ नाम हैं, और कुछ निश्चित तरीके हैं, जिन्हें काम में लेते हुये, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तथा भाजपा और प्रधानमन्त्री मोदी के खिलाफ आरोप लगाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ... जिस तरह से हमने केस दर्ज किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं बुलाई... आप भी केस दर्ज कीजिये, कोर्ट जाइये। राहुल गांधी ने अपनी पी.सी. में कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका का काम भी कर रही है। मौ-बेटे दोनों खुद तो जमानत पर हैं और न्यायपालिका का कार्य कर रहे हैं। इनमें से आधे लोग

'शिक्षक की वार्षिक वेतन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सांभर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। विभाग ने दिसंबर, 2021 में उस आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली। इसके खिलाफ उम्मे शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की, जिसे शिक्षा निदेशक ने गत 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि वह विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता है। दोनों

जमानत पर हैं और न्यायपालिका का कार्य कर रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी तथा "अडानी ग्रीन" को अन्य बरिष्ठ एजोकेव्यूटिव्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्टों पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत सरकार के अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर रिश्त दी या प्रस्तावित की।

अडानी तथा अन्य पर अमेरिका में उन्हीं प्रोजेक्टों के लिए कथित रूप से पैसे उगाहने का अभियोग लगाया है। अडानी तथा अन्य ने इसे लिये वादा किया है कि उनकी फर्म रिश्त विरोधी

आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसने संपूर्ण पढ़ाई हिंदी भाषा में की है। इसके अलावा, वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता आया है। यह स्कूल पहले हिंदी माध्यम ही था, जिसे बाद में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। दोनों

कानूनों पर अटल रहती है। अडानी ग्रुप ने अमेरिकन प्रॉसिक््यूटर्स द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज किया है। इस बिजनेस ग्रुप ने एक बयान में कहा, "अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा यूएस सिस्यूटिवीज एंड ऐक्सचेंज कमीशन द्वारा "अडानी ग्रीन" के निदेशकों पर लगाये गये आरोप निराधार हैं तथा खारिज किये जाते हैं।"

कार्यरत शिक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपीलार्थी को सरप्लस घोषित कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक के आने से उसे सरप्लस घोषित नहीं किया जा सकता।

वह नियमानुसार विभाग की ओर से आयोजित साक्षात्कार में सफल होकर इस पद पर काम कर रहा है। ऐसे में उसे सरप्लस घोषित करने और अन्य जगह पदस्थापित करने पर रोक लगाई जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए, अधिकरण ने याचिकाकर्ता को सरप्लस घोषित कर हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

पढ़ाई के बाद जॉब करने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना है : डॉ मनमोहन सिंह

बीकानेर, (कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन विद्या मंडप सभागार में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉ मनमोहन सिंह चौहान व आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति डॉ बिजेन्द्र सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसकेआरएयू कुलपति डॉ अरूण कुमार ने की।

मुख्य अतिथि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति डॉ बिजेन्द्र सिंह ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि विद्यार्थी अपने क्षेत्र के लोगों का गुट बना लेते हैं। जबकि विद्यार्थियों को अलग-अलग जगह से आये विद्यार्थियों से सीखना चाहिए। अपनी सराउडिंग बढ़ानी चाहिए। जितने ज्यादा लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे जीवन में उतने ही सफल होंगे। उन्होंने कहा कि कई बार विद्यार्थी अपनी समस्या खुलकर नहीं बता पाता। अंदर ही अंदर घुटने की बजाय समस्या को अपने दोस्तों, शिक्षक या माता पिता के साथ शेयर करने चाहिए। हर समस्या का समाधान निकल सकता है।

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं



स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम को कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉ मनमोहन सिंह चौहान ने संबोधित किया।

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉ मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि हमें यहां से पढ़कर निकलने के बाद जॉब करने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना है। उनको जॉब दें जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। विश्वविद्यालय में आने का मौका नहीं मिला। इंटरप्रनोर बनें। आप सब देश का भविष्य हैं। वर्ष 2047 आपकी तरफ देख रहा है। आप सब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अन्य तकनीकों का उपयोग कर अच्छे सॉफ्टवेयर बनें। खुद को प्रोत्साहित रखें, स्मार्ट बनें, कम्प्यूटेशनल रिस्कल अच्छी रखें। कुलपति डॉ अरूण कुमार ने कहा कि हमारे लिए सभी विद्यार्थी एकलव्य हैं। सभी डाइवर्स बनें। लाइफ में गोल फिक्स करें और उसे हासिल करें और देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। जीवन में सफलता का मंत्र ही टाइम मैनेजमेंट है।

उन्होंने बताया कि हॉस्टल्स में खाने की क्वालिटी को बहुत बेहतर किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों को पढ़ने और खेलने को लेकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुलसचिव डॉ देवराज देवी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर सभी को दिन में 24 घंटे देता है।

पॉल्यूशन बोर्ड ने पी.ओ.पी. की फैक्ट्रियों में भट्टियां देखी

बीकानेर, (कासं)। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने खारा औद्योगिक क्षेत्र में गांव के पास मिनरल जोन का जायजा लिया। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही पीओपी की सभी 40 फैक्ट्रियों को रात ही बंद कर दिया गया था। पूरे जोन में रास्तों पर पानी का छिड़काव कर धूल को दबा दिया गया।

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ इंजीनियर प्रेमलाल और दो वैज्ञानिकों का दल मंगलवार देर रात अचानक खारा पहुंचा। उनके आने की सूचना इंडस्ट्रीज मालिकों को लगने के कारण फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया था। इसलिए मिनरल जोन में वे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण के हालात नहीं देख सके। यह दल बुधवार सुबह फिर से खारा पहुंचा। तब तक मिनरल जोन के रास्तों में जमा धूल को पानी छिड़कर दबाया चुका था।

धूल, गर्द को ढकने के लिए फैक्ट्रियों की भट्टियों की चिमनियों पर भी पानी का छिड़काव किया गया है। उन्होंने एक फैक्ट्री पर लगी गैस भट्टी को देखा। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को कम करने, पार्टिकुलेट मैटर को

■ **दल बुधवार सुबह फिर से खारा पहुंचा तब तक मिनरल जोन के रास्तों में जमा गर्द धूल को पानी छिड़कर दबाया चुका था**

चिमनी में ही खत्म करने के मुद्दों पर फैक्ट्री मालिकों से चर्चा की। प्रोडक्शन की कार्यप्रणाली को समझा। गैस भट्टी के लिए एक साथ 30 कर्मशियल सिलेंडर लगाए गए हैं। इनके लगातार 9-10 घंटे चलने पर 30 टन के प्रोडक्शन का अनुमान लगाया गया है।

हालांकि यह काफी महंगा पड़ेगा। पर फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि इससे प्रदूषण काफी कम हो जायेगा। दल में अधीक्षक वैज्ञानिक अधिकारी मनोज मीणा और वैज्ञानिक अधिकारी महेश मालव ने सभी तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने

प्रदूषण कम करने के लिए कई तरह के उपायों पर भी चर्चा की। प्रदूषण को कम करने से संबंधित जरूरी हिदायतें भी दी। खारा उद्योग संघ के अध्यक्ष परचिंद्र सिंह सहित कई उद्यमी इस दौरान मौजूद थे।

ग्रामीणों ने कहा कि सरसों की पल्लर सस्ती पड़ती है, इसलिए सभी फैक्ट्रियों में भट्टियां इसी से चल रही हैं और प्रदूषण फैलने का कारण भी यही है। उन्होंने पल्लर के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग बोर्ड से की है। गौरतलब है कि खारा गांव में वायु प्रदूषण के कारण बच्चे और बुजुर्ग अस्थमा से पीड़ित हो रहे हैं। यह मामला उजागर होने के बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम हालात का जायजा लेने आई है। खारा के राजकीय सैनियर सैकेंडरी स्कूल में मीटिंग हुई।

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ इंजीनियर प्रेमलाल, क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने डिभिजनल सुमनलता सेठी से बच्चों को हो रही समस्याओं की जानकारी लिखित ली। उन्होंने बताया कि स्कूल में धूल की गर्द बिखरी रहती है।

किसानों ने नहर में पानी की चोरी पकड़ी

अनुपगढ़, (कासं)। रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह किसानों ने पानी चोरी पकड़ी।

मौके पर नहर किनारे एक ट्रैक्टर खड़ा था। वहां एक चारपाई पर एक व्यक्ति भी बैठा था जो किसानों को देखकर मौके से फरार हो गया। किसानों ने इस संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। गंगानहर के प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंद सिंह ने बताया कि उन्हें गुरुवार अलसुबह करीब 4 बजे समेजा नहर की भोमपुरा माइनर पर 38 एनपी मोधे के पास 6 इंच पाइप लगी मिली।

यहां से पानी खेत की ओर धकेलने के लिए कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। किसानों के आने की जानकारी मिलते ही मौके पर बैठा एक किसान वहां से फरार हो गया।

मौके पर पहुंचे तो पानी चोरी करने के लिए पाइप लगा मिला। हरविंद सिंह ने बताया कि इस इलाके में टेल के किसान नहर में पानी नहीं मिल पाते की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में किसान नहर पर नजर रखते हैं। गुरुवार को भी वे अलसुबह नहर के हालात देखने निकले तो समेजा नहर की भोमपुरा माइनर पर 38 एनपी मोधे के पास 6 इंच पाइप लगी मिली।

युवक ने फांसी लगा जान दी

बीकानेर, (कासं)। जिले में आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

जानकारी मिली है कि हनुमान हत्या निवासी 18 वर्षीय नीरज सिंह ने बीती रात को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं नोखा थानानगर्गत रोड़ा गांव में विक्रम सिंह ने बबूल के पेड़ पर फांसी का फंदा लगा लिया। विक्रम ने 19 नवम्बर को यह खौफनाक कदम उठाया।

बीकानेर में सौर ऊर्जा से बनेगी 20 हजार मेगावाट बिजली

बीकानेर, (कासं)। जिले में सौर ऊर्जा से 20 हजार मेगावाट बिजली बनेगी। बीकानेर को सोलर हब बनाने में बाहरी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अब स्थानीय कंपनियां भी मैदान में उतर गई हैं।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को देखते हुए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम नए जोएसएस लगाने की योजना बना रहा है। इससे बीकानेर जिले में सोलर ऊर्जा का बेहतर तरीके से ट्रांसमिशन किया जा सकेगा। पूराल, गजनेर, कोलायत, छत्तरगढ़ सहित अनेक स्थानों पर तेजी से सोलर प्लांट

लग रहे हैं। जिससे क्षेत्र किसानों को बंडर जमीन के दाम मिलने लगे हैं और डबलपमेंट के साथ ही रोजगार भी मिल रहा है।

सोलर हब बन रहे बीकानेर में अभी 4504 मेगावाट बिजली बन रही है। 5190 मेगावाट की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा 10,000 मेगावाट से ज्यादा की एमओयू हो चुके हैं। खास बात है कि एमओयू करने वाली ज्यादातर कंपनियां बीकानेर की ही हैं।

तेज गर्मी और सूखे की चमचमती धूप बीकानेर जिले को

धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (कासं)। फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण में अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में कंस्ट्रक्शन कंपनी के भागीदार दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

जांच अधिकारी एसआई गजेन्द्र शर्मा ने बताया कि 8 नवम्बर को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में धुब रणवां पुत्र महावीर सिंह जाट निवासी न्यू सिविल लाइन, जंक्शन ने बताया कि उसकी आरएनसी बुडकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो निर्माण आदि का कार्य संविदा पर करती है। पीडब्ल्यूडी हिसार की ओर से खेरेकां से ओट्ट रोड बनाने के संबंध में फर्म निर्मल सिंह कॉन्स्ट्रक्टर व मैसर्स एसडीएनआर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (जेवी) को कार्य आवंटन किया गया था।

बीआरओ की ओर से वैरिफिकेशन में भेजे गए 16 जनवरी 2023 को ई-मेल के जरिए स्पष्ट हुआ कि अनमोल कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पार्टनरों कुण्ण जाट पुत्र बनवारी लाल व सुनीता रेवाड़ पत्नी कुण्ण कुमार जाट निवासी न्यू सिविल लाइन, जंक्शन की ओर से जो कार्य अनुभव के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया गया था, वह पीडब्ल्यूडी ऑफिस की ओर से जारी ही नहीं किया गया। वह एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है।

सार-समाचार

मोतीगढ़ स्कूल का निरीक्षण किया



एडीओ सुनील बोडा ने राउमावि मोतीगढ़ का औचक निरीक्षण किया।

बीकानेर, (कासं)। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर सुनील बोडा ने गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतीगढ़ का औचक निरीक्षण किया। शाला के कार्यक्रम अधिकारी मोहर सिंह सलावद ने बताया कि इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बोडा ने शिक्षकों की बैठक लेकर सभी से विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाने व बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हेतु कार्य योजना बनाकर अध्यापन करवाने के लिए निर्देश दिए। बोडा ने सभी कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचकर उनसे प्रश्न भी पूछे गए जिसके बाद अध्यापन का स्तर संतोषप्रद बताया। साथ ही कहा कि विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाई जाए व सरकारी योजनाओं से बच्चों की अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित कराया। आईसीटी तैब के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्राचार्य सीमा मैथिल व उप प्राचार्य हरिकिशन मेघवाल शाला में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर व्याख्याता विनोद कुमार, रचना सारण, पीटीआई भजन लाल सहित सभी स्टाफ उपस्थित रहा।

चिकित्सा शिविर में 46 का उपचार



बम्बलू में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करते आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी।

बीकानेर, (कासं)। वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा यूनिवर्सिटी-सोशल रिसर्चोसिबिलिटी के तहत गोद लिए गांव बम्बलू में गुरुवार को आयुर्वेद विभाग बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग, बीकानेर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेन्द्र सिंगारिया के निदेशन में शिविर का आयोजन किया। शिविर में 46 ग्रामवासियों का उपचार किया गया एवं आस्थकता अनुसार आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण भी किया गया और मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु सुझाव दिए गए। इस शिविर में ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। शिविर के प्रभावी डॉ. सिंगारिया ने ग्रामवासियों को प्रमुख मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि के बचाव एवं उपचार के बारे में जागरूक किया। चिकित्सा शिविर का प्रबंधन डॉ. मैना कुमारी, समन्वयक यूनिवर्सिटी सोशल रिसर्चोसिबिलिटी, राजुवास, बीकानेर के द्वारा किया। इस शिविर के आयोजन में डॉ. विनय कुमार, डॉ. सनी प्रकाश, डॉ. विश्वास, डॉ. जगदीश, ग्राम सरपंच सुमित्रा देवी, हेताराम कूंकणा, ग्राम विकास अधिकारी राजाराम चौधरी, शिक्षक प्रताप सिंह, भागीरथ कूंकणा, जैताराम कूंकणा, लक्ष्मणराम कूंकणा, तौलाराम नाई आदि ग्रामवासियों का सहयोग रहा।

नाल दादाबाड़ी में किया दर्शन वंदन

बीकानेर, (कासं)। जैन श्वेताम्बर संघ के जैनाचार्य जिन पीयूष सागर सूरिश्वर महाराज अपने सहवृत्त मुनियों के साथ गुरुवार को पैरल विहार करते हुए नाल गांव में स्थित दादा जिन कुशल सूरि की दादाबाड़ी पहुंचे। उन्होंने मुनिवृंद के साथ दादा गुरुदेव के मंदिर में दर्शन वंदन तथा जाप किया। जैन श्वेताम्बर ओसवाल श्री खरतरगच्छ श्रीसंघ ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन लाल नाट्टा ने बताया कि रंगड़ी चौक के सुगनजी महाराज के उपासकों से बीकानेर की साध्वी श्री प्रभंजना महाराज आदि टाणा शुक्रवार सुबह को नाल गांव जायेगा। नाल गांव में मुनि सुव्रत स्वामी के प्राचीन मंदिर में 23 से 26 नवम्बर तक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया जायेगा। इसकी तैयारियां परवान पर हैं। धर्म चर्चा में जैनाचार्य जिन पीयूष सागर सूरिश्वर महाराज ने बताया कि बीसवें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत स्वामी वर्ण काला व प्रतीक चिन्ह कछुआ होने से समूचे हिंदुस्तान में उनके मंदिरों में सभी प्रतिमाएं काले कसौटी या अन्य काले पत्थर के संगमरमर की बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि देवात्मा के रूप में जीवन पूरा करने के के बाद राजा शूरश्रेष्ठ की आत्मा ने राजगुह्री नगरी में राजा सुमित्र व रानी परमवती के यहां तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया। विवाह के बाद राजकुमार मुनिसुव्रत कुछ समय तक युवराज के पद पर रहे, तत्पश्चात उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के 11 माह बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बीकानेर के मुनि सम्यक रतन सागर महाराज ने जैनाचार्य के विषय का विस्तृत वर्णन करते हुए धर्म चर्चा में बताया।

संवेदनशीलता के साथ करें आमजन की समस्याओं का निस्तारण : कलेक्टर

श्रीगंगानगर, (कासं)। राजस्थान सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर के वीसी रूम में हुई। इस दौरान कलेक्टर डॉ. मंजू ने जनसुनवाई करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी आमजन की समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ करें। जनसुनवाई में 95 प्रकरण आये।

जनसुनवाई के दौरान सूरतगढ़ निवासी परिवारी द्वारा स्वीकृत सिंचाई खाले में रास्ता नहीं देने के प्रकरण में कार्यवाही के लिये सूरतगढ़ तहसीलदार को मौका मुआयना कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम व सिंचाई विभाग द्वारा नियमावली कार्यावाही करते हुए परिवारी को रास्ता दिलवाया जाये। पदमपुर-जगसिंहपुर स्थित 31 बीबी में सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त



गंगानगर कलेक्टर डॉ. मंजू ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं।

की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने जल्द पेचवर्क करवाने के लिये एसई पीडब्ल्यूडी, आवारा पर्याय, कचरा निस्तारण और नालियों की सफाई के

लिये ईओ गजसिंहपुर को निर्देश दिये। इसी तरह साधुवाली ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाने के लिये एसडीएम गंगानगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के

चयन प्रकरण में कार्यवाही के लिये नगर परिषद आयुक्त, भूमि आवंटन प्रकरण में जांच के लिये सूरतगढ़ एडीएम, पदमपुर के 17 बीबी में अवैध साइफन

कलेक्टर ने जन सुनवाई में 95 प्रकरण सुने

हटाने के लिये एसडीएम पदमपुर, 7एफबी के सरकारी खाले में खारा पानी डालने के प्रकरण में कार्यवाही के लिये एसडीएम श्रीकरणपुर, 37पीटीपी के खाला पर आड़ बनाने के प्रकरण में कार्यवाही के लिये एसडीएम सादुलशहर, किशनपुरा आबादी में पट्टा प्रकरण में सूरतगढ़ बीडीओ, मन्नीवाली निवासी परिवारी द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ देने के प्रकरण में कार्यवाही के लिये जिला परिषद सीईओ और परिवारी द्वारा कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग पर कार्यवाही के लिये एसई डिस्कॉम को निर्देशित किया। जनसुनवाई और जिला सतर्कता समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये।

शिवराज छंगाणी साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति के मौन साधक थे : रंगा

बीकानेर, (कासं)। राजस्थानी, हिन्दी के महान् साहित्यकार कीर्तिशेख शिवराज छंगाणी के 86वें जन्म दिवस पर राजस्थानी युवा लेखक संघ एवं प्रज्ञालय संस्थान द्वारा स्थानीय नथूराम गेट बाहर स्थित लक्ष्मीनारायण रंगा सुजन-सदन में उनकी स्मृति में नमन-स्मरण कार्यक्रम का आयोजन आज दोपहर किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ जनकवि एवं शिक्षाविद् विशन मतवाला ने कहा कि कीर्तिशेख शिवराज छंगाणी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साथ ही वे अज्ञातशत्रु थे। इस अवसर पर मतवाला ने छंगाणी जी की साहित्यिक यात्रा के महत्वपूर्ण प्रसंग साझा करते हुए कहा कि वह गंभीर शिक्षाविद् भी थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृतिकर्मी एन.डी. रंगा ने उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनके साथ शिक्षा जगत में विताये अनूठे प्रसंग साझा करते हुए कहा कि मेरे जीवन पर उनका गहरा प्रभाव रहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजस्थानी के वरिष्ठ साहित्यकार



हिन्दी के साहित्यकार कीर्तिशेख शिवराज छंगाणी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम को वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा ने संबोधित किया।

कमल रंगा ने कहा कि कीर्तिशेख छंगाणी को ऊंचाईयां प्रदान कर उल्लेखनीय मौन साधक रहते हुए शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में अपनी सर्मापित कवि गोपाल व्यस ने उन्हें आदर्श भाव की सेवाएं जीवनपर्यन्त देते रहे। शिक्षक बताया तो समाजसेवी सत्यनारायण छंगाणी ने उन्हें राजस्थानी का सच्चा सपूत कहा।

सी.ई.ओ. ने गंदे पानी की खेती पाये जाने पर सब्जियों को नष्ट करवाने को कहा

बीकानेर, (कासं)। जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल ने कहा कि समस्त अधिकारी दर्ज मामलों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं को पारदर्शी और संवेदनशीलता से सुनना एवं उनका त्वरित समाधान करना है। साथ ही प्रकरणों के निस्तारण में संतुष्टि दर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 158 प्रकरणों प्राप्त हुए। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विभिन्न प्रकरणों पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदे पानी से सज्जियां उगाए जाने को शिकायत पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। गंदे पानी की खेती या जाने पर सज्जियों को नष्ट करवाने को कहा। रिडमल्टर में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध खनन को शिकायत पर खनिज एवं वन विभाग को भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के निर्देश दिए।

पवित्र्य में जमीन पर अतिक्रमण ना हो, इसके लिए तारबन्दी करवा भूमि को सुरक्षित करवाया जाए। समता नगर में बिना लाइसेंस उर्वरक कीटनाशक का अवैध भंडारण होने की शिकायत पर कृषि विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।



बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद सीईओ सोहनलाल ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रकरणों की सुनवाई की।

जिले में लाइसेंस विहीन एवं बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के लिपिहत्या वाहन संचालन की शिकायत पर परिवहन एवं यातायात विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे वाहनों का चालान काटने व नियमानुसार जब्त करने को कहा। साथ ही बाल बच्चों के निर्धारित संख्या से ज्यादा बच्चे बैठे ना हों, यह सुनिश्चित किया जाए।

रानी बाजार चौपाड़ा कटला स्थित होम्योपैथिक औषधालय में दवाईयों उपलब्ध होने के बावजूद भी उनका वितरण न करने की शिकायत पर चिकित्सा विभाग को जांच करने के

निर्देश दिए। नगर निगम को शहर में बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल ने श्रमिक डायरी बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करवाने, बंद हुई पेंशन चालू करवाने तथा क्षतिग्रस्त पाइप-लाइन ठीक करवाने सहित अन्य कई समस्याओं पर अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों, नालों एवं सीवरेज का दुरुस्तीकरण, सीमा ज्ञान करवाने, साफ-सफाई करवाने, अवैध जल एवं

बिजली कनेक्शन काटने, आवंटित प्लॉट को कब्जा मुक्त करवाने, निजी कॉलोनी में पेयजल कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन करने, आरटीआई के जवाब, नामांकन दर्ज करवाने सहित अन्य प्रकरण प्रस्तुत किए गए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉं दुलीचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव, निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा, एसडीएम कविता गोशाला, कृषि विभाग उपनिदेशक कैलाश चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

बीकानेर में लड़कियों के लिए बनेगी सैन्य एकेडमी

बीकानेर, (कासं)। जिले के जयमलसर गांव में जन्म ही लड़कियों के लिए सैन्य अकादमी की स्थापना की जायेगी। इसके लिए राजजिगं राजस्थान समिट में एक निजी संस्था और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

कोलकाता के सौर पर पहुंचे शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को कोलकाता में विभिन्न उद्योगपतियों और राजस्थान मूल के व्यवसायियों से मुलाकात की और शिक्षा विभाग में निवेश को लेकर चर्चा की। बीकानेर के जयमलसर गांव में श्रीराम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्राओं के लिए सैन्य एकेडमी की स्थापना की जायेगी। सैन्य एकेडमी के निर्माण में श्रीराम नारायण राठी ट्रस्ट 100 करोड़ रूपए का निवेश करेगा। सैनिक अकादमी की स्थापना के लिए एवं होटल ताज में आयोजित

राजिगं राजस्थान में एमओयू साइन, सैन्य एकेडमी के निर्माण में श्रीराम नारायण राठी ट्रस्ट 100 करोड़ रूपए का निवेश करेगा

एक समारोह में श्रीराम नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पूनम चंद राठी और शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक आशीष मोदी ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों की भूमि है। यहां के युवा देशभक्ति के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं और सेना में अधिक से अधिक संख्या में भर्ती होते हैं। प्रदेश में अच्छे सैन्य स्कूल खोलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्देश है कि प्रदेश के सभी संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएं। हम मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हर संभाग मुख्यालय पर सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं।

श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पूनम चंद राठी ने बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में सैनिक स्कूल छात्रा खोलने की घोषणा की। जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही कर सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर के ही पांचू गांव में सेठ शंकर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता की ओर से 10 करोड़ का निवेश कर एक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन और एक महाविद्यालय भवन बनाए जाने की सहमति रखी है। ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर लाल ने बताया कि वे पांचू गांव में रा. कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाकर देंगे, जिसकी लागत 5 करोड़ रूपए होगी।

सिर पर ईट गिरने से मजदूर की मौत

बीकानेर, (कासं)। जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में सिर पर ईट गिरने से गंभीर रूप से घायल मजदूर ने आज पीबीएम में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी मिली है कि वह पिछले एक सप्ताह से पीबीएम में भर्ती हो गया था। बताया जा रहा है कि 11 एफ करणपुर श्रीगंगानगर निवासी बुधराम 15 नवम्बर को छतरगढ़ से बीकानेर के मुख्य बाजार में किशन जी के मकान निर्माण कार्य में मजदूर कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक ईट उसके सिर पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद अन्य मजदूर उसे तुरंत छतरगढ़ सीएससी लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद बुधराम को पीबीएम अस्पताल के लिये रेफर किया गया। जहां आज उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुधराम छतरगढ़ में रहता था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव को परिवर्जनों को सौंप दिया है।

दिन में गर्मी बरकरार, रात में ठंडी हवाओं से सर्दी

बीकानेर, (कासं)। मौसम तो बदल गया लेकिन दोपहर की गर्मी अब भी बरकरार है। सुबह और शाम ठंडी हवाओं के चलते पंखा, कूलर और एसी सव बंद हो जाते हैं लेकिन दोपहर में ये सब चल रहे हैं।

दरअसल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा यानी दोपहर में सर्दी के अभी आसार नहीं है। बीते चौबीस घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। आमतौर पर इन दिनों में बीकानेर में अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। वहीं न्यूनतम पारा 15.2 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से करीब दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इन दिनों में बीकानेर में ये 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पिछले एक सप्ताह में बीकानेर में महज दो दिन 16 व 17 नवम्बर को ही तापमान में ज्यादा गिरावट हुई लेकिन इससे बाद से रात का पारा ज्यादा नहीं गिरा। वहीं दोपहर में मौसम शुष्क रहने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि राइज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाइसेम में 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नतम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया। आज साढ़े आठ बजे दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 40 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज की जा रही है।

दोपहर में तो आधी तक भी पंखा, कूलर और एसी चल रहे हैं

आसपास रहता है। पिछले एक सप्ताह में बीकानेर में महज दो दिन 16 व 17 नवम्बर को ही तापमान में ज्यादा गिरावट हुई लेकिन इससे बाद से रात का पारा ज्यादा नहीं गिरा। वहीं दोपहर में मौसम शुष्क रहने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि राइज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाइसेम में 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नतम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया। आज साढ़े आठ बजे दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 40 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज की जा रही है।

दो पिस्टल-कारतूस सहित दबोचा

बीकानेर, (कासं)। जिले के जामसर थाना पुलिस ने आर्स एट्क के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 देशी पिस्टल व एक कारतूस सहित हथियार सप्लायर्स समेत दो को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि कार्रवाई दो अलग-अलग जगहों पर की गई। जिसमें कतरियासर के पास से 25 बर्बाय महेन्द्र मेघवाल को पकड़ा। जिसके पास से एक अवैध पिस्टल जब्त की गई। वहीं 26 साल के जितेंद्र सिंह को गंगाशहर से गिरफ्तार किया गया है। इससे एक पिस्टल व एक कारतूस बरामद किया है। इस कार्रवाई में हैड कानि. विनोद कुमार, कानि. बलवीर, हनुमानराम, कैलाश, राजेश, जितेंद्र कुमार व हजारी शामिल थे। इस कार्रवाई में हैड कानि विनोद कुमार की भूमिका अहम रही। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

कोटनाशक स्प्रे से किसान की मौत : पूरल थाना क्षेत्र के अमरपुरा 742 हेड के पास खेत में स्प्रे चढ़ने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान काननाथ पुत्र बाबू नाथ जोगी के रूप में हुई है, जो लाखासर का मूल निवासी था और पिछले दो साल से अपने परिवार के साथ अमरपुरा के रहने वाले रेंटल वाम नाई का खेत हिस्से में लेकर काशत करता था। बुधवार शाम को काननाथ खेत में फसल पर कोटनाशक स्प्रे कर रहा था। स्प्रे के प्रभाव से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तुरंत पीबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवर्जनों को सौंप दिया है।

13 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (कासं)। जिले की संगरिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार युवक के कब्जे से 13.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। पुलिस एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी अनुसंधान में जुटी है। संगरिया पुलिस थाना के एसआई प्रमोद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दीनगढ़ से संतपुर रोड पर रोही संतपुर में एमपी नहर की पुलिया पर नाकाबंदी कर दो ग्राम की रात को नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने एक बाइक पर सवार होकर आए युवक को शक के आधार पर रुकवाकर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 13.16 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस ने बाइक जब्त कर मौके से मनीषा सिंह जटसिख निवासी गांव हिम्मतपुरा पीएस बहाववाला जिला फाजिल्का को गिरफ्तार कर लिया।

हनुमानगढ़, (कासं)। जिले में डीएपी वितरण व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग लगातार निरीक्षण कर अनियमितता पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने गुरुवार सुबह हनुमानगढ़ वंक्षन में एक आदान विक्रेता फर्म का लाइसेंस निरस्त और धोलीपाल में एक का लाइसेंस निलंबित किया है।

विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश वर्मा ने बताया कि विभाग की टीमों उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण कर रही है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिले में फास्फोरस के वैकल्पिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी जगह अधिक राशि पर ब्रिकी की सूचना निकटतम

डीएपी वितरण व्यवस्थाओं को लेकर कृषि विभाग सख्त, दो फर्मों पर की कार्रवाई

सहायक निदेशक अथवा कृषि पर्यवेक्षक को दी जाए ताकि प्रभावी कार्यवाही संभव हो सके। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोमण्डल, इफको एवं एनएफएल की रैक से 2300 मेट्रिक टन घाट दो दिन में आया है। इससे स्थिति में सुधार हुआ है। वर्मा ने आदान विक्रेताओं को डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के बाद मंडीवार वितरण व्यवस्था में नियुक्त

कार्मिकों को देखरेख में ही किसानों को आपूर्तिक रूप से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वर्मा ने बताया कि इस बार रबी में लगभग 6.70 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अक्टूबर तक सरसों लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर में बिजाई होने का अनुमान है। इसके लिए लगभग 15000-18000 मेट्रिक टन फास्फोरस की आवश्यकता होगी। उन्होंने किसानों को बताया कि एनपीकेएस श्रेणी के उर्वरक, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। नवम्बर माह में गंधू की बिजाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में फास्फोरिक जनिट उर्वरक उपलब्ध है।

'निबंध सबरंग' पर चर्चा 26 को

बीकानेर, (कासं)। हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रकाशित पुस्तकों पर चर्चा की श्रृंखला 'सुजन संवाद' की दूसरी कड़ी में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गौरीशंकर प्रजापत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त युवा जागृति कार्यशाला और रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त गंगानगर अभियान के अंतर्गत विशेष युवा जागृति कार्यशाला और रैली का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, ग्रामवासियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विक्रम ज्योषी ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य नशे की बढ़ती समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए प्रेरित करना है। रैली में बच्चों और युवाओं ने नशे से साहिए आजादी, 'सेटू ड्रग नो' और कसम यह खायेंगे, नशे को

नशा मुक्त गंगानगर अभियान के तहत विद्यार्थियों ने डेलवांग गांव में जागृति रैली निकाली। दूर भगाएंगे जैसे नारे लगाए। जिससे पूरा डेलवांग गांव गूंज उठा। एक संकल्प समारोह के साथ सभी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। रात्रि चौपाल में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष

रैली में लिया विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प

श्रीगंगानगर, (कासं)। ग्राम पंचायत डेलवांग में गुरुवार को रात्रि चौपाल आयोजन के साथ-साथ नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त युवा जागृति कार्यशाला और रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त गंगानगर अभियान के अंतर्गत विशेष युवा जागृति कार्यशाला और रैली का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, ग्रामवासियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विक्रम ज्योषी ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य नशे की बढ़ती समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए प्रेरित करना है। रैली में बच्चों और युवाओं ने नशे से साहिए आजादी, 'सेटू ड्रग नो' और कसम यह खायेंगे, नशे को



नशा मुक्त गंगानगर अभियान के तहत विद्यार्थियों ने डेलवांग गांव में जागृति रैली निकाली। दूर भगाएंगे जैसे नारे लगाए। जिससे पूरा डेलवांग गांव गूंज उठा। एक संकल्प समारोह के साथ सभी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। रात्रि चौपाल में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष

रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, ग्रामवासियों ने भाग लिया

चौधरी, पदमपुर एसडीएम अजीत गोदारा और तहसीलदार दर्शना देवी ने आमजन की समस्याओं को सुना और नशे से बचने के लिए जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए युवाओं को प्रेरित करना और इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष चौधरी ने कहा नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। युवा हमारे देश का पवित्र्य है और उन्हें इस बुराई से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

लाइसेंस निलंबित : बीकानेर में जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोरों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गए हैं। अनुज्ञापत्र प्राधिकारी एवं सहायक औषधि निरीक्षक देवेन्द्र कुमार केदावत ने बताया कि गांधी स्थित म्हादेव मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 9 से 13 दिसम्बर तक, झड़ू चौराहा स्थित आर. एम. मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 9 से 18 दिसम्बर तक निलंबित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email - SECY.UIT.SGNR@RAJSTHAN.GOV.IN
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियम/2024/3718 **सार्वजनिक आपूर्ति सूचना** दिनांक : 20.11.2024
सर्व समारण को सुनिश्चित किया जाता है कि श्रीमती टीका पत्नी श्री केशव कुमार एवं श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री अमित कुमार निवासी मं. 467, गौरी बस्ती, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में निम्न आवासीय भूखंड का न्यास रिक्त में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 2 एफएल मुब्बा 54 किलो मी. 14, 15 में भाग 30 इट्टू 50 फीट भू.सं. एफए-10 रिडि-सिद्धि एकलेव, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 4983 दिनांक 7.9.2007 को रिडि-सिद्धि होम डेवलपर्स प्रा. लि. जयिरे डेवलेपर्स श्री सुरेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह के नाम से जारी किया हुआ है।
आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
श्रीमती टीका एवं श्रीमती कुसुमलता द्वारा उक्त भूखंड को जयिरे पंजीकृत बैयामाग दिनांक 26.4.2024 को क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उर्वरक/सुखायुक्त दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री एसजीटी सिंह पुत्र श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 6 जैसू मुब्बा 18 किलो मी. 21 में भाग 20 इट्टू 50 फीट भू.सं. एफ-08 अठिका एकलेव, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 25878 दिनांक 26.6.2024 को श्री हरकौल सिंह पुत्र श्री रामचंद्र सिंह के नाम से जारी किया हुआ है।
श्री एसजीटी सिंह द्वारा उक्त भूखंड को जयिरे पंजीकृत बैयामाग दिनांक 5.8.2024 को क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email - SECY.UIT.SGNR@RAJSTHAN.GOV.IN
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियम/2024/3718 **सार्वजनिक आपूर्ति सूचना** दिनांक : 20.11.2024
सर्व समारण को सुनिश्चित किया जाता है कि श्रीमती टीका पत्नी श्री केशव कुमार एवं श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री अमित कुमार निवासी मं. 467, गौरी बस्ती, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में निम्न आवासीय भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 6 जैसू मुब्बा 18 किलो मी. 21 में भाग 20 इट्टू 50 फीट भू.सं. एफ-08 अठिका एकलेव, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 25878 दिनांक 26.6.2024 को श्री हरकौल सिंह पुत्र श्री रामचंद्र सिंह के नाम से जारी किया हुआ है।
श्री एसजीटी सिंह द्वारा उक्त भूखंड को जयिरे पंजीकृत बैयामाग दिनांक 5.8.2024 को क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email - SECY.UIT.SGNR@RAJSTHAN.GOV.IN
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियम/2024/3712 **सार्वजनिक आपूर्ति सूचना** दिनांक : 14.11.2024
सर्व समारण को सुनिश्चित किया जाता है कि श्रीमती टीका पत्नी श्री केशव कुमार एवं श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री अमित कुमार निवासी मं. 467, गौरी बस्ती, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में निम्न आवासीय भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की विवृति निम्नप्रकार है :-
न्यास रिक्तों के अनुसार भूखंड का विवरण आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण
भूखण्ड का विवरण मूल भूखण्डधारी
क्र 1 ए फ्लेटो मुब्बा 46 किलो मी. 22 में भाग 22 इट्टू 60 फीट, भूखंड संख्या 37-बी, अमरपुर, श्रीगंगानगर
निगम पट्टा सं. 2098 दिनांक 30.9.2013 को श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री श्री प्रेमनाथ सुखीयान निवासी मं. 37 मी. गौरी न. 3, अमरपुर, श्रीगंगानगर के 07 दिवस में प्रस्तावित भूखंड का न्यास रिक्तों में न्यायनिका हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिक्तों एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्ता

TRUE VALUE


वाइड रेंज के साथ बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी
सिर्फ **TRUE VALUE** पे

MARUTI SUZUKI



CELEBRATING


50 LAKH
HAPPY FAMILIES



376 क्वालिटी
चेक पॉइंट्स



3 फ्री सर्विस और
1 साल तक की वारंटी*



वेरिफाइड
कार हिस्ट्री*

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है।



अधिक
जानने के लिए
स्कैन करें

BIKANER: OPPOSITE BBS SCHOOL, JAIPUR ROAD, BIKANER, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 8875911509, 8003098512 | NEAR KALPATRU WAREHOUSE, NH-15, SRIGANGANAGAR, AURIC MOTORS: 7412059862, 8696543585 | NH-89 JAISALMER ROAD, BIKANER, DUDI MOTORS: 8306993375.